

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री श्याम सुंदर चेतीवाल आर ए एस

1. श्रीराम पुत्र श्री हरसहाय जाति जाट निवासी ग्राम धनोखरा तहसील कठूमर जिला अलवर (राज0)।

-----सायल

वनाम

1. तहसीलदार कठूमर जिला अलवर (राज0)।


----- गैरसायल

प्रार्थना-पत्र 136 एल आर एक्ट 1956

आदेश

दिनांक :- 27.06.2025

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र पेश कर बताया कि आराजी खसरा संख्या 14, 356, 357/1, 361/1, 370/1, 427, 431, 432, 64, 65, 68 कुल किता 11 रकबा 2.29 हैक्टे0. एवं 298, 299, 300, 304, 305, 309 किता 6 कुल रकबा 2.03 हैक्टे0 एवं आराजी खसरा नं. 307, 308, 310, 311, 313 किता 5 कुल रकबा 0.81 हैक्टे. एवं 306 कुल रकबा 0.46 एवं आराजी खसरा नं. 301 कुल रकबा 0.25 हैक्टे. वाले ग्राम धनोखरा तहसील कठूमर में स्थित है। जिसमें प्रार्थी का नाम श्रीया दर्ज है जबकि प्रार्थीया का सही नाम श्रीराम है। प्रार्थी ने अपने नाम को शुद्ध करवाने हेतु अपने नाम श्रीया के स्थान पर श्रीराम दुरुस्त कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थना पत्र के साथ में प्रार्थी ने 50 रूपये के स्टाम्प पर शपथ पत्र, ग्राम पंचायत दांतिया की रिपोर्ट, स्वयं का आधार कार्ड, राशन कार्ड एवं पेन कार्ड पेश किया है। प्रार्थना पत्र पर रिपोर्ट पटवारी हल्का व तहसीलदार कठूमर की रिपोर्ट में प्रार्थी श्रीया पुत्र हरसहाय के स्थान पर श्रीराम पुत्र श्री हरसहाय दुरुस्त किये जाने की अनुशंसा की गई है।


उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज0

हमने प्रार्थना पत्र के तथ्यों, सायल द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड एवं तहसीलदार कठूमर द्वारा की गई अनुशंसा का अवलोकन किया। सायल के प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, ग्राम पंचायत दांतिया की रिपोर्ट, स्वयं का आधार कार्ड एवं राशन कार्ड से आराजी ख. नं. 14, 356, 357/1, 361/1, 370/1, 427, 431, 432, 64, 65, 68 कुल किता 11 रकबा 2.29 हैक्ट0. एवं 298, 299, 300, 304, 305, 309 किता 6 कुल रकबा 2.03 हैक्ट0 एवं आराजी खसरा नं. 307, 308, 310, 311, 313 किता 5 कुल रकबा 0.81 हैक्ट. एवं 306 कुल रकबा 0.46 एवं आराजी खसरा नं. 301 कुल रकबा 0.25 हैक्ट. वाके ग्राम धनोखरा तहसील कठूमर में श्रीया पुत्र हरसहाय के स्थान पर श्रीराम पुत्र हरसहाय दुरुस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

---आदेश:---

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 14, 356, 357/1, 361/1, 370/1, 427, 431, 432, 64, 65, 68 कुल किता 11 रकबा 2.29 हैक्ट0. एवं 298, 299, 300, 304, 305, 309 किता 6 कुल रकबा 2.03 हैक्ट0 एवं आराजी खसरा नं. 307, 308, 310, 311, 313 किता 5 कुल रकबा 0.81 हैक्ट. एवं 306 कुल रकबा 0.46 एवं आराजी खसरा नं. 301 कुल रकबा 0.25 हैक्ट. वाके ग्राम धनोखरा तहसील कठूमर में श्रीया के स्थान पर श्रीराम दुरुस्त किये जाने के आदेश तहसीलदार कठूमर को दिये जाते हैं एवं उक्तनुसार जमाबंदी में संशोधित इन्द्राज करें। आदेश की प्रति तहसीलदार कठूमर को पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 27.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(श्याम सुंदर धतीवाल)
उपस्थंड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०